मो० सोहैल, भा०प्र०से०, जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 13.04.2016 को आपूर्ति विभाग के कार्यो की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :

पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का बैठक में स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

(1) एल0पी0जी0 गैस :-

जिलाधिकारी द्वारा बैठक में एजेन्सीवार गैस की उपलब्धता एवं वितरण की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में बैठक में अनुपस्थित गैस एजेन्सी के प्रोपराईटर से स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया गया। तत्पश्चात जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही है कि गैस एजेन्सियों द्वारा उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराये जा रहें घरेलू गैस का वजन कम है। इस संबध में सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत के गैस एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे गैस की नियमित जॉच करेगें। जॉच के दौरान यदि एल0पी0जी0गैस का वजन निर्धारित वजन से कम पाया जाता है तो संबंधित गैस एजेन्सी के विरुद्व नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगें।

(2) व्यवसायिक गैस :-

जिलाधिकारी द्वारा जिले में व्यवसायिक गैस के खपत पर असंतोष व्यक्त की गयी एवं सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को जिले के प्रखंड मुख्यालय बाजार/ग्रामीण बाजार/शहरी क्षेत्रों के होटल/रेस्टोरेन्ट/चाय–नास्ता की दुकान/प्रतिष्ठानों पर छापामारी करने एवं छापामारी का विडियोग्राफी कर विडियो को Whatsapp के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करने एवं प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि छापामारी के दौरान होटल/ चाय–नास्ता की दुकानों में एल0पी0जी0 सिलेंण्डर (घरेलू गैस) का उपयोग करते पकड़ा जाय तो उनके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के संगत प्रावधानों के अधीन जप्त कर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाय। इसी क्रम में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि SupplyWatch करके Whatsapp ग्रुप उनके द्वारा बनाया है। जिस पर फोटो/विडियो अपलोड किये जाने का निदेश जिलाधिकारी द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को दिया गया है

इसी क्रम में जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को निदेशित किया गया वे अवैध रुप से रिफिलिंग करने वाले दुकानों की भी गहन छापामारी करना सुनशिचित करें तथा छापामारी प्रतिवेदन उसी दिन संध्या 05:00 बजे अपराह्न तक Whatsapp पर अपलोड करेगें तथा लिखित रूप से प्रतिवेदन भी भेजेगें।

छापामारी के संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विगत कई बैठक से एल0पी0जी0 गैस अवैध रूप से उपयोग किये जाने वाले प्रतिष्ठानों की नियमित रूप से छापामारी

प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को दिया गया था, परन्तु प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से छापामारी प्रतिवेदन अप्राप्त है। जिस पर जिलाधिकारी द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया तथा सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को एल0पी0जी0 गैस अवैध रूप से उपयोग किये जाने वाले प्रतिष्ठानों की नियमित रूप से छापामारी कर प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05वीं तारीख तक जिला आपूर्ति कार्यालय में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। साथ ही जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि एक दिन निर्धारित कर इस जिला क्षेत्रान्तर्गत के सभी हॉटल/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में छापामारी कराया जाय।

बैठक में उपस्थित गैस एजेन्सी के प्रोपराईटर द्वारा बताया गया कि विद्यालय को गैस कनेक्शन दिया गया है, परन्तु विद्यालय के प्रधान द्वारा गैस का उठाव नही किया जाता है। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा बैठक में प्रभारी पदाधिकारी, एम0डी0एम0, मधेपुरा को बुलाकर स्पष्ट रूप से निदेश दिया गया कि वे इसकी जॉच/पर्यवेक्षण कर प्रतिवेदन दें कि विद्यालय के प्रधान द्वारा गैस का उठाव किस परिस्थिति में नहीं किया जा रहा है।

(3) गैस सब्सिडी छोड़ने :-

जिलाधिकारी द्वारा गैस सब्सिडी छोड़ने वाले ग्राहकों की संख्या के बारे में पृच्छा की किये जाने, पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विधिवत् प्रतिवेदन सभी गैस एजेन्सियों से प्राप्त नही है।

जिलाधिकारी द्वारा सभी गैस एजेन्सी के प्रोपराईटर को निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह के मासिक प्रतिवेदन में Subsidy Give Up का कॉलम बनाकर रिपोर्ट जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

(4) DBTL :-

जिलाधिकारी द्वारा DBTL का प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि DBTL के तहत् गैस प्राप्ति एवं आपूर्ति में बहुत अन्तर है। जिलाधिकारी द्वारा सभी गैस एजेन्सी मालिकों को निदेश दिया गया कि जो ग्राहक जिले से बाहर रहते है, उनका कनेक्शन लॉक कर दिया जाए एवं पुनः जब वे आते हैं, तो कनेक्शन लॉक खोल दिया जाए, जिससे वास्तविक खपत का पता चल सके एवं गैस की किल्लत न हो सके। इससे संबंधित प्रतिवेदन सभी गैस एजेन्सी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को देगें।

(5) किरासन तेल :-

जिलाधिकारी द्वारा पृच्छा की गयी कि किरासन तेल की प्राप्ति एवं वितरण की जॉच की जाती है अथवा नहीं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि किरासन तेल प्राप्ति एवं वितरण की जांच प्रतिवेदन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से नही आती है। जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को किरासन तेल प्राप्ति फोटो लेकर Whatsapp पर फ्रोटो अपलोड करने तथा प्रतिवेदन जिला आपूर्ति कार्यालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(6) पी0डी0एस0 :-

खाद्यान्न की नियमित उठाव के संबध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि FCI से खाद्यान्न प्राप्त होने के बाद भी SFC से नियमित उठाव नही हो रहा है, जिसके कारण बैकलॉग हो जाता है। वर्तमान में माह फरवरी,2016 का खाद्यान्न का उठाव हो रहा है। माह मार्च,16 के खाद्यान्न का उठाव नही हुआ है।

इस संबध में जिलाधिकारी द्वारा खेद प्रकट करते हुए जिला प्रबंधक, एस0एफ0सी0, मधेपुरा को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 के तहत पूर्विकताप्राप्त एवं अन्त्योदय योजनान्तर्गत पात्र लाभूकों प्रत्येक माह खाद्यान्न मुहैया कराया जाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। SFC के गोदाम से खाद्यान्न का उठाव कर डोर स्टेप डिलवेरी के तहत् खाद्यान्न जन वितरण प्रणाली विक्रेता के गोदाम तक पहुॅचना जिला प्रबंधक,राज्य खाद्य निगम की सम्पूर्ण जबावदेही है। इस प्रकार खाद्यान्न में उठाव में बरती जा रही लापरवाही के लिए जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

साथ ही जिलाधिकारी द्वारा जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा को यह भी निदेश दिया गया कि वे नियमित रुप से स्टॉक मोनिटरिंग करें तथा स्टॉक खत्म होने के 20 दिनों के पहलें ही अपेक्षित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें, ताकि स्टॉक में खाद्यान्न की उपलब्धता बनी रहे। खाद्यान्न के उठाव हेतु आगामी छहः माह का डिमांड भी एफ0 सी0 आई0 को भेजें। एफ0 सी0 आई0 से यदि कठिनाई होती है तो इसे जिला पदाधिकारी के संज्ञान में अविलम्ब लाया जाय। भविष्य में इस तरह की समस्या आने पर जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा सीधे जिम्मेवार माने जायेगें।

इसी क्रम में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सिंहेश्वर द्वारा बताया गया कि सहायक गोदाम प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा द्वारा गोदाम से खाद्यान्न तौल कर नही दिया जाता है। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा द्वारा पृच्छा किये जाने पर संबंधित सहायक गोदाम प्रबंधक द्वारा बताया गया कि मशीन खराब है। जिलाधिकारी द्वारा सभी सहायक गोदाम प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा जिला को शख्त निदेश दिया गया कि वे तौल मशीन को अतिशीघ्र ठीक करावे। मशीन ठीक नही होने पर संबंधित सहायक गोदाम प्रबंधक जिम्मेवार माने जायेगें। गोदाम से खाद्यान्न तौल कर ही आपूर्ति किया जाय सुनिश्चित करेगें। खाद्यान्न तौलकर नही देने की बात संज्ञान में आने पर संबंधित सहायक गोदाम प्रबंधक पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम मधेपुर को निदेश दिया गया कि वे अविलंब SFC के गोदाम का तौल मशीन कराते हुए संसूचित करेगें। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि SFC के सभी गोदाम पर CC TV कैमरा लगवाना सुनिश्चित करेगें।

इसी क्रम में खाद्यान्न का उठाव हेतु ससमय जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा राशि राज्य खाद्य निगम के खाते में जमा कराने के संबंध जिलाधिकारी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक आगामी महीने की राशि राज्य खाद्य निगम के खाते में जन वितरण प्रणाली विकेता से जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। अगर जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को निर्धारित अवधि तकं राशि जमा नहीं कि जाती है, तो इसके लिए बैंकों से बात करके डीलरों को ऑभर ड्राफ्ट करवाने का कार्रवाई किया गया। बकाया माह के लिए